



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 31-05-2025 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1-थाना मूढ़ापाण्डे पुलिस द्वारा मारपीट कर हत्या करने के 02 आरोपीयों को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 28.05.2025 को वादी सुरजीत पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम सिरसखेड़ा थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के ताऊ के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना मूढ़ापाण्डे पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूढ़ापाण्डे पर मु0आ0सं0-211/2025, धारा-115(2)/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। पीड़ित की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने से उपरोक्त अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में थाना मूढ़ापाण्डे पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-सौरभ पुत्र ओमप्रकाश 2-सुमित पुत्र जयराम निवासीगण ग्राम सिरसखेड़ा थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-सौरभ पुत्र ओमप्रकाश

2-सुमित पुत्र जयराम निवासीगण ग्राम सिरसखेड़ा थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोगः-

मु0आ0सं0-211/2025, धारा-115(2)/117(2) बीएनएस बढ़ोत्तरी धारा-103(1) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 रोहित कुमार

हे0का0 सुनील कुमार

का0 शुभमपाल थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद

2- थाना मूढ़ापाण्डे पुलिस द्वारा नाबालिंग लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोपी किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 30.05.2025 वादिनी निवासनी थाना मूढ़ापाण्डे क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादिनी की नाबालिंग पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ जंगल में ले जा कर, उसके साथ अश्लील हरकतें करना व गन्दी नियत से कपड़े फाड़ देने के संबंध में थाना मूढ़ापाण्डे पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूढ़ापाण्डे पर मु030सं0- 218/2025 धारा- 74/76 बीएनएस व 9M/10 पोक्सो एकट बनाम राजू वर्मा पुत्र लाल जी वर्मा निवासी ग्राम खाईखेडा थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 31.05.2025 को थाना मूढ़ापाण्डे पुलिस द्वारा नामित अभियुक्त राजू वर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



पंजीकृत अभियोग:-

मु030सं0- 218/2025 धारा- 74/76 बीएनएस व 9M/10 पोक्सो एकट

गिरफ्तार अभियुक्त:-

राजू वर्मा पुत्र लाल जी वर्मा निवासी ग्राम खाईखेडा थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-उ0नि0 मुकेश कुमार थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद
- 2-हे0का0 रिक्की तोमर थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद
- 3-म0का0 हिमानी थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद ।

3- थाना मूढ़ापाण्डे पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के अभियोग में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2025 की रात्रि में थाना मूढ़ापाण्डे पुलिस को चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सरकड़ा खास के जंगल में कुछ लोग गौकशी कर रहे हैं इस सूचना पर थाना मूढ़ापाण्डे पुलिस मौके पर पहुँची तो पुलिस को देख कर गौकशी कर रहे अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे दो अभियुक्तगण के पैरों में गोली लगी और वे गिर पड़े, जबकि अन्य रात्रि का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मौके पर अभियुक्तगण 1-सलीम पुत्र शकूर निवासी ग्राम दौलपुरी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद 2-जसीम पुत्र रहीस निवासी ग्राम खजूर की सराय थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। जिनके कब्जे से 02 देशी तमंचा मय 02 खोखा कारतूस नाल में फसे हुए व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व गौकशी करने के उपकरण (दो रस्सी, एक कुल्हाड़ी, दो छुरे, एक बांका व दो प्लास्टिक के कट्टे आदि) व एक रास जिन्दा गौवंशीय पशु (बैल) बरामद हुये थे। पुलिस मुठभेड़ व गौकशी के संबंध में थाना मूढ़ापाण्डे पर मु0अ0सं0- 206/25 अंतर्गत धारा- 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व धारा- 3/8 सीएस एक्ट व धारा- 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम व धारा- 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम सलीम आदि के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तगण की पूछताछ में अभियुक्त कृपाल सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी ग्राम पैपटपुरा थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 31.05.2025 को थाना मूढ़ापाण्डे पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त कृपाल सिंह पुत्र कल्लू सिंह को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 206/25 अंतर्गत धारा- 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व धारा- 3/8 सीएस एक्ट व धारा- 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम व धारा- 11 पशु क्रूरता अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त:-

कृपाल सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी ग्राम पैपटपुरा थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-व0उ0नि0 सर्वेश कुमार थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद
- 2-उ0नि0 जयपाल सिंह थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद
- 3-कां0 आशुतोष यादव थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

4- थाना बिलारी पुलिस द्वारा, दुष्कर्म व मारपीट करने के आरोपी किया गिरफ्तार किया गया-

अवगत कराना है कि दिनांक 28.05.2025 को वादिनी निवासनी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादिनी के साथ नशा देकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म व मारपीट करने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0- 241/2025 धारा- 123/115(2)/3(5)/ 64(2)M बीएनएस बनाम फिरोज अहमद उर्फ छंगा पुत्र सिपड़ूर अली निवासी ग्राम तुरखेड़ा थाना बिलारी जिला मुरादाबाद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 31.05.2025 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त फिरोज अहमद उर्फ छंगा पुत्र सिपड़ूर अली उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-3(1)द, 3(1) ध, 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 241/2025 धारा- 123/115(2)/3(5)/ 64(2)M बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त:-

फिरोज अहमद उर्फ छंगा पुत्र सिपड़ूर अली निवासी ग्राम तुरखेड़ा थाना बिलारी जिला मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-उ0नि0 विनीत कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ।
- 2-उ0नि0 यूटी कृष्णा कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ।
- 3-का0 संजीव कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ।

5- थाना भोजपुर पुलिस द्वारा, दहेज हत्या के अभियोग में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.05.2025 को वादिनी निवासनी मौहल्ला गंज बाजार थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद ने आरोपीगण द्वारा वादिनी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज के लिये गाली गलौज, मारपीट व शारीरिक/मानसिक रूप से प्रताड़ित कर हत्या कर देने के संबंध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0आ0सं0- 205/2025 धारा- 85/115(2)/352/351(3)/80(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम शाहिद आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 31.05.2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित/वांछित अभियुक्त शाहिद पुत्र लियाकत निवासी मौ0 सुन्दर नगर पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



पंजीकृत अभियोग:-

मु0आ0सं0- 205/2025 धारा- 85/115(2)/352/351(3)/80(2) भारतीय न्याय संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त:-

शाहिद पुत्र लियाकत निवासी मौ0 सुन्दर नगर पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- उ0नि0 शराफत हुसैन थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
- 2- का0 474 अतुल यादव थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

6-थाना भोजपुर:- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.05.2025 को वादिनी निवासी थाना भोजपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर मु0अ0सं0-0207/2025 धारा -69/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 31.05.2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त कमल सिंहं पुत्र चरन सिंह निरोगी पुरा मझरा थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त

कमल सिंहं पुत्र चरन सिंह निरोगी पुरा मझरा थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0-0207/2025 धारा -69/351(2) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उनिरोगी ब्रजपाल सिंह

हेनरी कुलदीप सिंह

कामजद चौधरी

कामजद अतुल यादव थाना भोजपुर, मुरादाबाद।



7-थाना भोजपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है दिनांक 30/31.05.2025 की रात्रि में थाना भोजपुर पुलिस गश्त व चेकिंग कर रही थी, पुलिस द्वारा एक संदिग्ध को रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जबाबी कार्यवाही में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। पुछताछ में जिसने अपना नाम हसन पुत्र अनीस निवासी डींगरपुर थाना मैनाठेर, मुरादाबाद। अभियुक्त के विरुद्ध 04 मुकदमे पंजीकृत हैं। कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त-

हसन पुत्र अनीस निवासी डींगरपुर थाना मैनाठेर, मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 -214/2025 धारा -109(1) बीएनएस (पु0मु0) व 3/25/27 आयुध अधिनियम

बरामदगी-

एक तमंचा 315 बोर व 01 खोका कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0-736/2024 धारा-3/25/27 धारा-109(1) बीएनएस थाना कटघर मुरादाबाद

2-मु0अ0स0-108/2021 उ0प्र0 उत्पाद/आबकारी अधि0- 60/63/72 धारा-420 भादवि थाना पाकबाड़ा

3-मु0अ0स0-06/2022 धारा-429 भादवि थाना मैनाठेर मुरादाबाद

4-मु0अ0स0-14/2021 धारा-429 भादवि थाना मैनाठेर मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम—

उ0नि0 पंकज कुमार

उ0नि0 प्रणव कुमार

हे0का0 रवि कुमार,

हे0का0 अनूप कुमार

का0 जितेन्द्र

का0 अंकुर भडाना थाना भोजपुर, मुरादाबाद।

8-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 15 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना पाकबड़ा-02, थाना कांठ-01, थाना भगतपुर-01, थाना भोजपुर-03, थाना बिलारी-04, थाना मैनाठेर-04,